न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 56/2021

वादीगण :–

1. नारायणराम पुत्र स्व. शंकरलाल
2. गीतादेवी पत्नी स्व. शंकरलाल
3. मीरादेवी पुत्री स्व. शंकरलाल
4. तीजादेवी पुत्री स्व. शंकरलाल वादी सं. 1 स्वयं, तथा वादी सं. 2 से 4 जरिये आम मुख्त्यार श्री नारायणराम पुत्र शंकरलाल सभी जातियान मोची, निवासीगण ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल निवास आबाद चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. चंचलदेवी पुत्री शंकरलाल जाति मोची निवासी बिजलीघर चौराहा, जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या– 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या – 2 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–** 4/12/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम की कृषि भूमि ग्राम भावी सीरवीबास, पटवार हल्का भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में खसरा नंबर 4348 रकबा 0.6715 हैक्टयर किस्म नहरी दोयम आयी हुयी है। जिसके वर्तमान खाता सं. 507 है। जिसमें वादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/5 हिस्सा, वादी सं. 3 का 1/5 हिस्सा, वादी सं. 4 का 1/5 तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा निहित व दर्ज है। वास्ते सबूत चालू जमाबंदी संवत 2076 से 2079 वाद के साथ पेश है। उपरोक्त भूमि का आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पहले वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 के पिता/पति शंकरलाल जी की खातेदारी की थी तथा शंकरलाल जी का देहान्त होने पर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं.1 के नाम खातेदारी में दर्ज की गयी। जिसमें प्रत्येक वादी का 1/5–1/5 हिस्सा निहित है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी सं. 1 से 11 वादी के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों मे विवाद रहता है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का तहसील कार्यालय बिलाडा में चलकर लिखित व विधिवत बंटवाडा करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि बंटवाडा करवाने से स्पष्ट मना कर दिया। इसलिए वादीगण को अपनी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करवाने हेतु यह वाद पेश करना पड रहा है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अडचन पैदा कर रहे है। इस कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नहीं करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड रहा है। वाद कारण दिनांक 18.11.2021 को तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तहसील में चलकर लिखित व विधिवत बंटवाडा करवाने हेतु निवेदन किये जाने पर तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मना करने पर बमुकाम ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम भावी सीरवी बास पटवार हल्का भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में खसरा सं. 4348 रकबा 0.6715 हैक्टयर में स्थित वादीगण के 1/5–1/5 हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम भावी सीरवीबास पटवार हल्का भावी सीरवीबास, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में खसरा नंबर 4348 रकबा 0.6715 हैक्टयर में वादीगण प्रत्येक के 1/5–1/5 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करें। अन्य अनुतोष जो वादीगण पाने का अधिकारी हो वादीगण के पक्ष में डिक्री सादिर फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड डाक जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 को उपस्थित होने के लिए पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिवादी सं. 1की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है। पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा वाद का खण्डन नही होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे वादी साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र पर मनन किया गया। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्डेड सहखातेदार है तथा वादीगण के मध्य विधिवत् व लिखित बंटवाड़ा नही हो रखा है व न ही वादीगण के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वर्णितानुसार हिस्से की तरमीम राजस्व नक्शे में हो रखी है इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित प्रतीत होने के कारण वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायसंगत है। अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम भावी सीरवी बास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 4348 रकबा 0.6715 हैक्टयर में वादी सं. 1 का 1/5 वां हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/5 वा हिस्सा व वादी सं. 3 का 1/5 वां हिस्सा, वादी सं. 4 का 1/5 वां हिस्सा का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियमों के प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तलब कर रास्ता आदि की कार्यवाही कर बंटवाड़ा प्रस्ताव बनाकर भिजवावें। प्राथमिक डिक्री जारी हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
नारायणराम		चंचलदेवी वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 56/2022

निर्णय **दिनांक :–**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम भावी सीरवी बास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 4348 रकबा 0.6715 हैक्टयर में वादी सं. 1 का 1/5 वां हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/5 वा हिस्सा व वादी सं. 3 का 1/5 वां हिस्सा, वादी सं. 4 का 1/5 वां हिस्सा का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियमों के प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तलब कर रास्ता आदि की कार्यवाही कर बंटवाड़ा प्रस्ताव बनाकर भिजवावें।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा